49

संख्या– /XXVIII–5–2015–79/2014

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 01 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2015

विषय–वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों के संचालन हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त आपके पत्र संख्या–5प/1/25/2015–16/18327 दिनांक 28 जुलाई,2015 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय स्वायत्तता प्राप्त चिकित्सालयों के सुचारू संचालनार्थ अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में प्राविधानित बजट **₹**1,86,36,000/– (रूपये एक करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹93,18,000/–(रूपये तिरानवे लाख अटठारह हजार मात्र)** की धनराशि ऑन लाईन अलॉटमेंट आई.डी के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग–1 के शासनादेश संख्या– 267/XXVII(1)/2008 दिंनाक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 01.04.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

पूर्व अवमुक्त धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित चिकित्सालयों से प्राप्त कर लिया जाय। इस शासनादेश के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी एक पक्ष के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

C:\Users\bilas godiyal\Desktop\VILAS GODIYAL\Admn & Financial Sanction\Admn & Financial Sanc. G.O.doc

6. भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय, जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति–110–अस्पताल तथा औषधालय–15–राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता मद की लेखाशीर्षकों की प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–171(पी)/XXVII(1)/2015 दिनांक 31 अगस्त, 2015 में प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

संलग्न : ऑन लाईन एलाटमेन्ट आई.डी.–S1509120003

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–1649(1)/XXVIII–5–2015–79/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव